न्यायालय आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर दौसा
पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र सं0 107/2024 अंतर्गत धारा 3 जी (5) रा.रा.अ.

1. शम्भु पुत्र रेवड
2. रामू उर्फ रामलाल पुत्र रेवड
3. हरिनारायण पुत्र रेवड
4. रमेश पुत्र रेवड

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम बागपुरा ढाणी खेडा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी एवम् उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा।
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्रियान्वयन इकाई दौसा जरिये परियोजना निदेशक कार्यालय रावत पैलेस के पीछे आगरा रोड दौसा जिला दौसा।

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित– 1. श्री मुरली मनोहर शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री हरीशचंद शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 30.5.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नांगल राजावतान द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन के अंतर्गत ग्राम लाहडी का बास के खसरा नंबर 1460/1927 के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि भारतमाला परियोजना दिल्ली से बडोदरा एक्सप्रेस वे निर्माण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 ए के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 21–08–2018 एवम् समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 09–09–2018 जो कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राजस्थान राज्य के दौसा जिले में एन एच 148 एन के किलोमीटर 170.8 से 210 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग को निर्माण करने की घोषणा की गई है। जिसके तहत अप्रार्थी सं0 2 द्वारा अवाप्ति की कार्यवाही की गई है। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बरान 1460 व 1460 / 1927 वाके ग्राम लाहडी का बास तहसील नांगल राजावतान भी अवाप्त की गई जिसमें से भूमि खसरा नम्बर 1460 के सम्बन्ध में प्रा[illegible] अंतर्गत धारा 3 जी (5) एन एच ए आई एक्ट न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 07[illegible]2 को निस्तारित फरमा दिया गया है जिसमें प्रार्थीगण की भूमि खसरा [illegible] 1460 [illegible] सिंचित कृषि भूमि की दर से निर्धारित कर दिया गया है परन्तु भूमि [illegible] 1460/1927 रकबा 0.[illegible] अवाप्ताधीन भूमि के सम्बन्ध में माननीय जिला एवम् सत्र न्या[illegible]धीश महोदय दौसा में [illegible]स प्रस्तुत हो जाने के कारण प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष धारा 3 जी (5) एन एच ए आई

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सका था। अब न्यायालय जिला एवम सत्र न्यायाधीश महोदय दौसा द्वारा दिनांक 23–09–2024 को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण को अदा किये जाने का आदेश फरमाया है इसलिए उक्त खसरा नम्बर 1460/1927 वाके ग्राम लाहडी का बास तहसील नांगल राजावतान के सम्बन्ध में माननीय जिला न्यायाधीश दौसा के निर्णय के पश्चात मुआवजा बारानी कृषि भूमि दर के बजाय भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार सिंचित कृषि भूमि के दर से दिलवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा नम्बर 1460/1927 वाके ग्राम लाहडी का बास में पहले सिंचाई चाह नम्बर 1478 से होती थी जो 20–25 वर्षो से भी अधिक समय से हो रही है। उक्त चाह में पानी कम हो जाने के कारण प्रार्थीगण ने अपनी भूमि खसरा नमबर 1460 में बोरिंग का निर्माण करवा लिया। चूंकि भूमि खसरा नम्बर 1460 व 1460/1927 एक ही जाव में स्थित है इसलिए खसरा नम्बर 1460/1927 की सिंचाई का साधन भी खसरा नम्बर 1460 में बना हुआ बोरिंग है जिसके जरिये पानी लेकर प्रार्थीगण अपनी भूमि की सिंचाई करते है। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बरान 1460 व 1460 /1927 जमाबन्दी में बारानी प्रथम दर्ज रही है जबकि वास्तव में उक्त भूमि मौके पर चाही है और उक्त भूमि में दो फसली काश्त होती है तथा गिरदावरीयों में उक्त भूमि सिंचित दर्ज है जो काफी वर्षो से करीब 25 वर्षो से अधिक समय से सिंचित दर्ज है। जमाबन्दी में जो कृषि भूमि का वर्गीकरण किया जाता है वह वर्गीकरण सेटलमेन्ट के दौरान किया जाता है जबकि भूमि पर मौके पर चाही है या बारानी है इसका आधार गिरदावरियां होती है और गिरदावारीयों में प्रार्थीगण की उक्त भूमि सिंचित दर्ज है इसलिए प्रार्थीगण की अवाप्ताधीन भूमि खसरा नम्बर 1460/1927 का मुआवजा सिंचित कृषि भूमि की दर से दिया जाना चाहिये। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त अवाप्त की गई भूमि को जमाबन्दी में आधार पर बारानी मानकर बारानी भूमि की दर से 7,69,729/– रूपये का अवार्ड 7,69,729/–पारित किया गया है जबकि अवार्ड पारित करने से पूर्व उक्त भूमि की जांच रिपोर्ट मंगवाया जाना जरूरी था। मात्र जमाबन्दी के आधार पर भूमि का मुआवजा बारानी कृषि की दर से तय कर दिया जो गलत है उक्त अवार्ड को संशोधित किया जाकर उक्त भूमि का मुआवजा सिंचित भूमि मानकर तय किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1460 का मुआवजा असिंचित की दर से तय होने की जानकारी होते ही भूमि अवाप्ति अधिकारी के यहां आपत्ति प्रस्तुत की तथा उसके पश्चात न्यायालय श्रीमान में धारा 3 जी (5) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 07–09–2022 को हो गया है जिसमें प्रार्थीगण को सिंचित कृषि भूमि की दर से मुआवजा अदा किये जाने का आदेश फरमाया जा चुका है । परन्तु भूमि खसरा नम्बर 1460/1927 तत्समय सेटलमेन्ट की गलती के कारण दीगर व्यक्तियों के नाम दर्ज होने के कारण तथा न्यायालय जिला न्यायाधीश महोदय दौसा के यहां रेफरेन्स हो जाने के कारण उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका था इसलिए अब जिला न्यायाधीश महोदय दौसा के निर्णय दिनांक 23–09–2024 के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 21–10–2019 में भूमि खसरा नम्बर 1460/1927 को चाही बताया हुआ है तथा उक्त भूमि में बोरिंग होना भी दर्शित किया है। माननीय जिला न्यायाधीश महोदय दौसा के निर्णय के पश्चात प्रार्थीगण द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी नांगल राजावतान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि का मुआवजा बारानी कृषि भूमि दर के बजाय भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 013 के अनुसार सिंचित कृषि भूमि के दर से अदा किये जाने का निवेदन किया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

परन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण को सिंचित कृषि भूमि की दर से मुआवजा दिये जाने को इन्कार कर दिये जाने के कारण न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र के संलग्न अवार्ड की प्रति, हल्का पटवारी लाहडी का बास की रिपोर्ट की प्रति, तहसीलदार नांगल राजावतान की रिपोर्ट दिनांक 21—10—2019 की प्रति, माननीय जिला एवम सत्र न्यायाधीश महोदय दौसा के निर्णय की प्रति, खसरा गिरदावरियों की प्रति आदि दस्तावेज प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम लाहडी का बास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा में प्रार्थीगण की अवाप्ताधीन भूमि खसरा नम्बर 1460/1927 रकबा 0.35 है0 का मुआवजा बारानी कृषि भूमि दर 7,59,177/— रूपये प्रति हैक्टेयर के बजाय भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार सिंचित कृषि भूमि के दर 12,12,423/— रूपये प्रति हैक्टेयर से प्रार्थीगण को दिये जाने के आदेश अप्रार्थीगण को फरमाये जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान ने प्रार्थीगण की भूमि का राजस्व अभिलेख में अंकितानुसार किस्म के अनुसार बारानी भूमि की दर से अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थीगण ने गलत आधारो पर अधिक मुआवजा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि जिस अवार्ड/आदेश दिनांक के संबंध में माननीय न्यायालयों से अनुतोष चाहा जाता है, उस अवार्ड/आदेश दिनांक का प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया जाता है, लेकिन प्रार्थीगण ने हस्तगत प्रार्थना पत्र में यह कही भी उल्लेख नही किया है कि वह सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, नांगल राजावतान, जिला दौसा के कौनसे अवार्ड/आदेश दिनांक से व्यथित हैं, जिसके विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय मध्यस्थ महोदय से अनुतोष चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। हस्तगत प्रार्थना में वर्णित तथ्य अनुसार यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण ने ग्राम लाहडी का बास, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा के खसरा नम्बर 1460/1927 में से अवाप्त भूमि का दिनांक 15. 02.2019 को पारित अवार्ड के संबंध में यह आवेदन माननीय मध्यस्थ महोदय के समक्ष पेश किया है, जबकि उक्त खसरा में से अवाप्त भूमि के पारित अवार्ड में प्रार्थीगण का नाम ही नहीं है, जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थीगण की कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है, ऐसी स्थिती में जब तक प्रार्थीगण द्वारा माननीय मध्यस्थ महोदय के समक्ष उक्त अवाप्त भूमि विधिनुसार स्वयं की होना साबित नहीं कर दिया जाता है, तब तक प्रार्थीगण को प्रश्नगत अवाप्त भूमि के संबंध में पारित अवार्ड को किसी भी प्रकार से चुनौती दिये जाने का कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वाद कारण के अभाव में प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। खसरा नम्बर 1460/1927 में से अवाप्त भूमि के संबंध में दिनांक 15. 02.2019 को भूमि अवार्ड पारित कर दिया गया था, जिसमें उक्त खसरा नं. 1460/1927 की अवाप्त भूमि [illegible] अधिकार बताकर मुआवजा प्राप्त करने बाबत् यह आवेदन प्रस्तुत किया है। उ[illegible] है कि परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के तीसरे खण्ड के भा[illegible] यह आवेदन प्रस्तुत करने की परिसीमा काल 3 वर्ष है। [illegible] 1460/1927 में से अवाप्त भूमि के संबंध में दिनांक 15.02.2019 को अवार्ड पारित ह[illegible] के बाद वर्ष 2024 के अन्त मे लगभग 2 वर्ष की भारी देरी के बाद यह आवेदन माननीय मध्यस्थ महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जो देरी से पेश होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

नम्बर 1460 में से अवाप्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत अन्य प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में मध्यस्थ महोदय द्वारा दिनांक 07.09.2022 को पारित निर्णय में अवाप्त भूमि को सिंचित मानकर मुआवजा निर्धारण करने के संबंध में कहे गये कथन इस प्रकरण में स्वीकार नही है। प्रत्येक प्रकरण के तथ्य व स्थिति भिन्न–भिन्न होती है, इसलिये मध्यस्थ द्वारा अन्य प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2022 प्रार्थीगण की कोई मदद नही करता है। उल्लेखनीय है कि मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय नियमानुसार निर्णय की परिभाषा में नही आते है एवं ऐसे मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णयों को अन्य मध्यस्थ मानने के लिये बाध्य नही है। प्रार्थीगण के कथनानुसार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रश्नगत खसरा नम्बर 1460/1927 के संबंध में प्रस्तुत रेफरेन्स मुआवजे के वितरण के संबंध में था और प्रस्तुत प्रकरण मुआवजा अभिवृद्धि के लिये माननीय मध्यस्थ महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, इस संबंध में निवेदन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (आगे संक्षिप्त में "अधिनियम 1956) की धारा 3जी के तहत सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा पारित अवार्ड/अवधारित राशि किसी पक्षकार को अस्वीकार होने पर धारा 3जी (5) के तहत मध्यस्थ महोदय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि 3 वर्ष है। प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा खसरा नम्बर 1460 /1927 में से अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारित कर दिनांक 15.02.2019 को अवार्ड पारित कर दिया गया था। तदोपरान्त प्रार्थीगण द्वारा लगभग दो वर्ष की भारी देरी के बाद वर्ष 2024 के अंत में माननीय मध्यस्थ महोदय के समक्ष यह आवेदन पेश किया है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवार्ड दिनांक 15.02.2019 को पारित करने के बाद मध्यस्थ महोदय के समक्ष धारा 3जी (5) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की अवधि प्रारम्भ हो चुकी थी, इसलिये प्रार्थीगण मध्यस्थ महोदय के समक्ष आवेदन पेश कर जिला न्यायाधीश महोदय, दौसा के समक्ष प्रस्तुत रेफरेन्स में भी कार्यवाही कर सकते थे, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा ऐसा नही कर लापरवाही करते हुये अपने विधिक अधिकारो के प्रति सचेत नही रहकर विलम्ब से यह आवेदन पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा जिला न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत रेफरेन्स की आड़ लेकर यह आवेदन पेश करने में हुये विलम्ब के संबंध में माननीय मध्यस्थ महोदय से कोई राहत प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी नही हैं। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। भूमि की किस्म एवं स्थिति को देखते हुए राजस्व रिकार्ड में किया जाता है। अधिनियम 1956 की अनुपालना में अवाप्त भूमि की मुआवजा राजस्व विभाग द्वारा प्रत्येक भूमि की भूमि की किस्म व प्रकृति का अंकन धारा 3जी (7) (ए) के प्रावधानों की राशि का निर्धारण धारा 3ए की अधिसूचना को राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि की किस्म, प्रचलित दर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है । प्रस्तुत प्रकरण में धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 21.08.2018 को अवाप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में बारानी–1 कृषि भूमि दर्ज थी. जिसकी प्रचलित दर के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। वर्णित कथनों से यह स्पष्ट है कि अवाप्त खसरा नम्बर 1460 /1927 में सिंचाई के कोई साधन नही थे। प्रार्थीगण का यह कथन नितांत गलत है कि अवाप्त भूमि की बोरिंग के पानी से सिंचाई करते थे। राज्य सरकार के स्थानीय कार्यालय यथा तहसील आदि में नियुक्त अधिकारी/कर्म[illegible]री आदि द्वारा भूमि सिंचित या असिंचित होने या नही होने के सम्बध में [illegible]स्व [illegible]कॉर्ड /जमाबन्दी में इन्द्राज किया जाता है, जो विधिनुसार वास्त[illegible]है, तद्नुसार प्रस्तुत प्रकरण में धारा 3ए की अवाप्ति अधि[illegible]018 को राजस्व रिकॉर्ड / जमाबन्दी (जो भूमि की प्रकृति/किस्म का निश्चायक सबूत[illegible]ता है) में खसरा नम्बर 1460/1927 में से अवाप्त भूमि बारानी–1 (असिंचित) भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी तथा मद संख्या 4 में अवाप्त भूमि बारानी दर्ज होना स्वयं प्रार्थीगण ने स्वीकार किया है, इसलिये बारानी–1 (असिंचित)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

दर से मुआवजा निर्धारित किया है, जो नियमानुसार है। यदि अवाप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में बारानी दर्ज होना प्रार्थीगण को स्वीकार नही थी तो प्रार्थीगण द्वारा उसे दुरूस्त कराये जाने के लिये सक्षम स्तर पर कोई कार्यवाही क्यों नही की गई ? और अब प्रार्थीगण अधिक मुआवजा प्राप्त करने की लालसा में अवाप्त बारानी भूमि को सिंचित भूमि बताकर मिथ्या व आधारहीन कथन कर रहे है। प्रश्नगत भूमि अब अवाप्त हो जाने से राजस्व रिकार्ड मे अवाप्त भूमि की किस्म/प्रकृति के संबंध में कानूनन कोई फेरबदल नही किया जा सकता है, ना ही कोई अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। अतः उक्त अवाप्त भूमि सिंचित होने के सम्बध में कहे गये कथन मिथ्या व आधारहीन है, जिनका प्रार्थीगण को कोई लाभ प्राप्त नही होता है। गिरदावरियों में भूमि सिंचित/असिंचित होने का कोई अंकन नही होता है। बल्कि भूमि सिंचित/असिंचित होने के संबंध में राजस्व जमाबन्दी मुख्य दस्तावेज होता है, जिसमें अवाप्त भूमि बारानी (असिंचित) दर्ज थी। राजस्व जमावंन्दी मे अवाप्त भूमि बारानी दर्ज होने के संबंध मे प्रार्थीगण द्वारा सक्षम स्तर कोई कार्यवाही नही की गई एवं अधिनियम 1956 की धारा 3ए व 3डी तहत क्रमशः दिनांक 21. को जारी अधिसूचनाओ के संबंध मे आमजन/भू–हितधारियो को सूचित करने के लिये स्थानीय समाचार पत्रो मे क्रमशः दिनांक 09.09.2018 व 20.12.2018 को प्रकाशन करवाये जाने के बाद भी प्रार्थीगण द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के समक्ष निर्धारित समयावधि मे कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई, जिसका तात्पर्य यह है कि अवाप्त भूमि बारानी भूमि होना प्रार्थीगण को स्वीकार थी, इसलिये प्रार्थीगण द्वारा इंद्राज दुरूस्ती व अपत्ति पेश करने की कार्यवाही नही की गई। अतः प्रार्थीगण द्वारा अवाप्त भूमि सिंचित होने के संबंध में कहे गये कथन नितांत गलत व मिथ्या साबित होते है। प्रार्थीगण बारानी भूमि का सिंचित कृषि भूमि की दर से मुआवजा प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी नही है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने प्रश्नगत खसरा नम्बर 1460/1927 में से अवाप्त भूमि के संबंध में राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से राजस्व रिकॉर्ड अनुसार रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अनुमोदन बाद केन्द्र सरकार को रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसके बाद केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम 1956 की धारा 3ए एवं 3डी के तहत क्रमशः दिनांक 21.08.2018 व 29.11.2018 अधिसूचनाये जारी की गई है, जिसमें अवाप्त भूमि स्पष्टतया बारानी/असिंचित दर्शित है। अतः प्रार्थीगण अवाप्त असिंचित भूमि का मुआवजा सिंचित दर से प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी नही है। प्रस्तुत प्रकरण में खसरा नम्बर 1460/1927 में से प्रश्नगत भूमि अवाप्त करने के लिये अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 21.08.2018 को जारी की गई थी और प्रार्थीगण द्वारा उक्त मद में वर्णित तहसीलदार नांगल राजावतान की रिपोर्ट दिनांक 21.10.2019 की है, जो उक्त प्रारंभिक अवाप्ति अधिसूचना जारी होने के बाद की है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (4) के अनुसार प्रारंभिक अधिसूचना के जारी होने के बाद अवाप्त भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं किये जा सकते है। इस प्रकार यदि प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के बाद अवाप्त भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित किये जाते है या अवाप्त भूमि मे कोई सुधार या उसके दस्तावेज तैयार किये जाते है, तो वह विधिविरूद्ध होने से विचारणीय नही होते है, इसलिये प्रस्तुत प्रकरण में यह भी हो सकता है कि प्रार्थीगण ने अवाप्ति अधिसूचना दिनांक 21.08.2018 के जारी होने के बाद अवाप्त भूमि में बदलाव कर उसे सिंचित कर दिया गया हो, जिसके बाद तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई हो। अतः अवाप्ति अधिसूचना दिनांक 21.08.2018 के जारी होने के बाद तैयार तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 21.10.2019 कानूनन विधि सम्मत नही होने से प्रकरण में विचारणीय नही है। अधिनियम 1956 की धारा 3ए व 3डी के तहत क्रमशः दिनांक 21.08.2018 व 29.11.2018 को जारी अधिसूचनाओ संबंध मे आमजन/भू–हितधारियो को सूचित करने के लिये स्थानीय समाचार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

पत्रो मे क्रमशः दिनांक 09.09.2018 व 20.12.2018 को प्रकाशन करवाया गया, जिस पर अवाप्त भूमि के संबंध में सूचना प्राप्त होने के बाद भी प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित समयाधि मे सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के समक्ष कोई आपत्ति पेश नही की गई, तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि अवाप्ति की सम्पूर्ण कार्यवाही विधिनुसार सम्पादित कर दिनांक 15.02.2019 को भूमि अवार्ड पारित कर दिया गया और अवार्ड पारित होने के बाद सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत नही की जा सकती है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अवार्ड पारित होने के बाद प्रस्तुत आपत्ति सारहीन होने से पोषणीय व विचारणीय नही है। उल्लेखनीय है कि माननीय मध्यस्थ महोदय से मुआवजा प्राप्त करने बाबत् भूमि की किस्म/प्रकृति में परिवर्तन करवाने का कोई अनुतोष नही चाहा जा सकता है। भूमि अवाप्त होने के बाद किसी भी स्तर से राजस्व रिकॉर्ड में भूमि की प्रकृति/किस्म को लेकर कोई परिवर्तन नही किया जा सकता है। प्रार्थीगण ने भूमि अवार्ड दिनांक 15.02.2019 के पारित होने के पश्चात् आवेदन/अपील पेश करने की अवधि समाप्त होने के बाद लगभग दो वर्षो के लम्बे विलम्ब से यह आवेदन प्रस्तुत कर मृत मामले को जीवित करने का निरर्थक प्रयास किया है, जिसमें प्रार्थीगण विधिनुसार सफल नहीं हो सकते है। अवाप्ति अधिसूचना दिनांक 21.08.2018 को अवाप्त भूमि राजस्व जमाबंदी (जो भूमि की प्रकृति/किस्म का निश्चायक सबूत होती है) में बारानी/असिंचित कृषि भूमि दर्ज थी, जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण में बारानी-1 भूमि अवाप्त हुई है, जिसकी प्रचलित दर के अनुसार मुआवजा निर्धारित कर दिनांक 15.02.2019 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवार्ड पारित किया है, जो विधिनुसार है । अतः प्रार्थीगण अवाप्त बारानी/असिंचित भूमि का मुआवजा सिंचित कृषि भूमि की दर से प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हजे खर्चे निरस्त फरमाया जावे।

6. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार अवाप्तिाधीन भूमि खसरा नंबर 1460/19247 का मूल्यांकन रारजस्व रिकार्ड, जमाबंदी व चौसाला खसरा गिरदावरी के आधार पर किया गया है। भूमि के सिंचित व असिंचित भूमि का निर्धारण पंजीयन विभाग के परिपत्रों के अनुसार गिरदावरी को आधार मानकर किया जाता है। तहसीलदार नांगल राजावमान की रिपोर्ट दिनांक 21.10.2019 में अंकित अनुसार खसरा गिरदावरी अनुसार खसरा नंबर 1460, 1460/1927 किस्म बारानी प्रथम व खसरा नंबर 1478 किस्म गै0मु0चाह वर्तमान में खातेदार तोफा पत्नि रेवड वगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नंबर 1478 गै0मु0चाह है। गिरदावरी रिपोर्ट संवत 2078 में खसरा नंबर 1460 में 0.98है. व 1460/1927 में 0.35है. में गेहूँ की फसल सिंचित दर्ज थी। इससे पूर्व कीह गिरदावरी संवत 2071 से 2074 में उक्त खसरा नंबर में कोई फसल सिंचित नहीं है। संवत 2075 में खसरा नंबर 1460 सिंचित फसल दर्ज है। इस प्रकार खसरा नंबर 1460 में संवत 2059, 2061, 2063 से 2066, 2075 फसल सिंचित दर्ज है। उक्त खसरा नंबर में पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नंबर में बोरिंग स्थित है जिस पर विधुत कनेक्शन भी लगा हुआ है।

7. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि [illegible] भूमि जमाबंदी में बारानी-1 असिंचित के रूप में दर्ज है। उपखंड अधिकारी नांगल [illegible] की रिपोर्ट दिनांक 25.1.2025 के अनुसार खसरा नंबर 1460/1[illegible] 2071 से 2074 असिंचित रही है व संवत 2075 में 0.35है. गेहूँ सिंचित रही है। [illegible] में उक्त खसरा नंबर अलग-2 वर्षो में जैसेकि संवत 2059, 2062, 2063, 2064, 2066, 2075 में सिंचित रही है व अन्य वर्षों में असिंचित रही है। गै0मु0चाह भी उक्त खसरा नंबर में न होकर खसरा नंबर 1478 में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:23 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

9. उपरोक्त तथ्य से यह प्रतीत होता है कि उक्त खसरा नंबर को पूर्णतः सिंचित माना जाना उचित नहीं है। यहाँ तक की यह भी सिद्ध नहीं है कि अमूमन सिंचित भूमियों में प्रतिवर्ष खरीफ (सियालू) की फसल तो असिंचित के रूप में की जाती है किन्तु रबी (उन्हालू) की फसल सिंचित के रूप में की जाती है। किन्तु उक्त खसरे पर कई वर्षों तक फसलअसिंचित के माध्यम से पूरे वर्ष भर की गई है। ऐसे में प्रार्थीगण को सिंचित के माध्यम से निर्धारण करना उचित प्रतीत नहीं होता है। हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य समझते है।

12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर पारित मुआवजा अवार्ड आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 मई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियम समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:23 IST
Reason: SelfAttested